

न्यायालय: पुंजिया बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी, जिला

अशोकनगर (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 32 / 2002

चालान प्रस्तुति दिनांक :- 29 / 01 / 2002

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,

चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... (अभियोगी)

..... विरुद्ध

01. कप्तानसिंह पुत्र हरदास, उम्र 44 वर्ष,

02. सुनील पुत्र मुन्लूलाल, उम्र 28 वर्ष, ...**(मृत)**

व्यवसाय—मजदूरी, निवासीगण— हाटका पुरा चन्देरी,

थाना चन्देरी, जिला— अशोकनगर (म.प्र.)

..... (अभियुक्तगण)

राज्य द्वारा : श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्त क्रमांक 01 द्वारा : श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

..... निर्णय

(आज दिनांक 20 / 01 / 2017 को घोषित)

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त सुनील की मृत्यु हो जाने से उसे मृत घोषित किया गया है। अतः यह निर्णय अभियुक्त कप्तानसिंह के विरुद्ध घोषित किया जा रहा है।

02. अभियुक्त कप्तानसिंह के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत यह दोषारोप है कि उसने दिनांक 18—19 / 01 / 2002 को रात्रि में थाना चन्देरी अन्तर्गत मुंगावली रोड़ पर फरियादी के मकान के सामने फरियादी सोनू उर्फ प्रमोद की गुमठी, जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है, में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार किया गया एवं फरियादी सोनू उर्फ प्रमोद की गुमठी में से एक टैप रिकार्ड बेगटॉन कम्पनी, एक डेग यूनिवर्सल कम्पनी का एव पांच कैसेट कुल कीमती करीब 2100 /—रूपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से हटाकर चोरी कारित की।

03. अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 / 01 / 2002 को

फरियादी सोनू उर्फ प्रमोद ने पुलिस थाना चन्देरी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह रात करीब 09:00 बजे उसकी गुमठी को बंद करके घर चला गया था। सुबह दुकान खोलने के लिए गुमठी पर गया, तो गुमठी के दोनों ताले टूटे पड़े थे। उसने दुकान खोलकर देखा तो एक बैगटॉन कम्पनी का डैक, दो बड़े स्पीकर और पांच कैसेट्स नहीं मिले, जिन्हें कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। डैक पर लाल स्याही से हिन्दी में सोनू लिखा हुआ है, जिसे सामने आने पर पहचान लेगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 21/02 धारा 461 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना पाये जाने से शेष आवश्यक संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04. मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त कप्तानसिंह को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किये गये परीक्षण में उसने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है, किन्तु अभिलेख पर उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (01) क्या अभियुक्त कप्तानसिंह ने दिनांक 18-19/01/2002 की दरम्यानी रात्रि में मुंगावली रोड़ पर चन्देरी में स्थित फरियादी सोनू उर्फ प्रमोद की गुमठी, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है, में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया ?
- (02) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त कप्तानसिंह ने फरियादी सोनू उर्फ प्रमोद के आधिपत्य की गुमठी में से एक टैप रिकार्ड, एक डेग एवं पांच कैसेट कुल कीमत 2100/-रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

:::: सकारण विनिश्चय ::::विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण :-

06. उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फरियादी सोनू (अ.सा.01) ने अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है कि उसके कथन दिनांक से 10-15 साल पहले फतेहाबाद तिराहे पर स्थित दुकान को शाम 7:30 बजे बंद करके घर आ गया था। दूसरे दिन दुकान खोलने गया, तब उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ दिखा। उसने अंदर जाकर देखा तो एक टैप रिकार्ड, दो स्पीकार, 5-6 कैसेट्स, दुकान का कुछ सामान एवं 2100/- रुपये नगदी नहीं मिले थे। उसने घटना के संबंध में थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र. पी.01 लिखाई थी। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 02 बनाया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उसे बाद में मालूम पड़ा था कि उसका सामान सुनील और कप्तान चोरी करके ले गये थे। उसका चोरी गया सामान मिल गया था। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में कोई विरोधाभास नहीं आया है कि उसकी दुकान में रखा सामान रात में चोरी नहीं गया था और उसने उसकी दुकान से सामान चोरी जाने के संबंध में रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। बचावपक्ष द्वारा भी इस संबंध में कोई खण्डन नहीं किया है और न ही चनौति दी है। बचावपक्ष का भी यह कहना नहीं है कि उसकी दुकान से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि घटना के बाद लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से भी होती है। अतः अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य से यह पाया जाता है कि घटना दिनांक को फरियादी सोनू की दुकान में से टेप रिकार्ड, डेक व कैसेट आदि सामान चोरी गया था।

08. अब देखना यह है कि “क्या फरियादी के आधिपत्य के उक्त सामान की चोरी अभियुक्त कप्तानसिंह द्वारा कारित की गई थी ?” इसके लिये यह देखना आवश्यक है कि “क्या घटना के बाद चोरी गया उपरोक्त सामान अभियुक्त कप्तानसिंह के आधिपत्य से विधिवत् जप्त हुआ है ?” इस

संबंध में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी राजेन्द्रसिंह (अ.सा.03), जप्ती, गिरफ्तारी व मैमोरेण्डम के स्वतंत्र साक्षी मनोज (अ.सा.02), राजकुमार (अ.सा.04), प्रवीण (अ.सा.05) व मोहनसिंह (अ.सा.06) के कथन अवलोकनीय हैं।

09. राजेन्द्रसिंह (अ.सा.03) ने बताया है कि दिनांक 19/01/2002 को थाना चन्देरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान थाने के अपराध क्रमांक 21/2002 धारा 461 भारतीय दण्ड संहिता की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर साक्षी मोहन व मनोज की निशादेही से घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। उसने फरियादी सोनू व साक्षी मनोज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने मुखबीर की सूचना पर से आरोपी कप्तान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। बाद में आरोपी कप्तान से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र.पी.04 बनाया था। पूछताछ के दौरान आरोपी कप्तान ने आरोपी सुनील के साथ मिलकर फरियादी सोनू की गुमठी का ताला तोड़कर चोरी करना बताते हुये उसके हिस्से का सामान घर में रखना और चलकर बरामद करना बताया था। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी के पेश करने पर एक टैप रिकार्डर, एक डैक व पांच कैसेट जप्तकर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था।

10. साक्षी ने बताया है कि उसने आरोपी कप्तान के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था। आरोपी सुनील से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र.पी.07 बनाया था। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील ने आरोपी कप्तान के साथ मिलकर फरियादी सोनू की गुमठी का ताला तोड़कर चोरी करना बताते हुये उसके हिस्से का सामान उसके घर में रखना और चलकर बरामद करना बताया था। उसने आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी के पेश करने पर एक डैक जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 उसके द्वारा लेखबद्ध की थी, जिस पर प्रधान आरक्षक रामकिशन के हस्ताक्षर हैं। उसने रामकिशन के समक्ष काम किया है, इसलिए उसके हस्ताक्षर पहचानता है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रथम

सूचना रिपोर्ट में डेक चोरी होने का उल्लेख नहीं है और उसने किसी भी आरोपी से स्पीकर जप्त नहीं किये थे।

11. मनोज (अ.सा.02) ने आरोपी कप्तान को पहचानने से इंकार करते हुए बताया है कि उसके सामने आरोपी कप्तान को गिरफ्तार नहीं किया था और उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की थी। गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03, मेमोरेण्डम प्र.पी.05 एवं जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस उसके सामने घटनास्थल पर नहीं आई थी। नक्शा मौका प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कार्रवाही का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी साक्षी ने उसके सामने पुलिस द्वारा आरोपी कप्तानसिंह को गिरफ्तार किये जाने आरोपी कप्तान से पूछताछ कर धारा 27 का मेमोरेण्डम लिये जाने तथा आरोपी कप्तान से एक टैप रिकार्डर, एक डैक तथा पांच कैसेट जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने यह भी गलत होना बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी कप्तान ने फरियादी की गुमठी तोड़कर उसमें रखा सामान चोरी करना बताया था। इस प्रकार साक्षी के कथनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कार्रवाही का समर्थन हो।

12. राजकुमार (अ.सा.04) व प्रवीण (अ.सा.05) ने आरोपी सुनील को पहचानने से इंकार करते हुए उनके सामने आरोपी सुनील गिरफ्तार किये जाने, पूछताछ किये जाने एवं कोई वस्तु जप्त किये जाने से इंकार किया है। गिरफ्तार पंचनामा प्र.पी.06, मेमोरेण्डम प्र.पी.07 एवं जप्ती पंचनामा प्र.पी.08 पर उनके हस्ताक्षर हैं, जो उन्होंने थाना चन्देरी पर किये थे। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कार्रवाही का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षीगण से सूचक प्रश्न और ऐसे सभी प्रश्न पूछे हैं, जो प्रतिपरीक्षण में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूछे जा सकते हैं, पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी साक्षीगण ने उनके सामने आरोपी सुनील को गिरफ्तार किये जाने, आरोपी से पूछताछ किये जाने एवं आरोपी से डैक जप्त किये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन

कार्रवाही का समर्थन हो। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है।

13. मोहनसिंह (अ.सा.06) ने बताया है कि पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका प्र.पी.02 बनाया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी कप्तान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था और आरोपी कप्तान से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र.पी.04 बनाया था। पुलिस ने आरोपी कप्तान से डैक बॉक्स व चार पांच कैसेट जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी करीब दो बजे दाउ की होटल के सामने बाजार चन्देरी से हुई थी तथा उसके अलावा उसके सामने किसी अन्य व्यक्ति ने गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी ने बताया है कि उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर मारपीट की थी और पकड़कर थाने ले आये थे। साक्षी ने बताया है कि उसके सामने गिरफ्तारी के अलावा अन्य कोई कार्रवाही नहीं हुई थी, वह बाजार से थाने नहीं गया था और उसके घर चला गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी को बाजार से गिरफ्तार करने के बाद किसी अन्य स्थान पर लेकर नहीं गये थे। आरोपी ने उसके सामने बाजार में कुछ नहीं बताया था, उसके सामने केवल आरोपी को पकड़ा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने बाजार में ही कागजों पर हस्ताक्षर किये थे।

14. मोहनसिंह (अ.सा.06) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी कप्तान को गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ किया जाना और आरोपी से डैक बॉक्स और चार-पांच कैसेट जप्त होना बताया है, जबकि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके सामने गिरफ्तारी के अलावा कोई कार्रवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके सामने पुलिस आरोपी को बाजार से थाने के अलावा किसी स्थान पर नहीं ले गई थी। इसी तारतम्य में यदि जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 का अवलोकन किया जाये, तो जप्ती का स्थान हाटका पुरा चन्देरी आरोपी का मकान होना उल्लेखित है। ऐसी दशा में जबकि इस साक्षी ने उसके सामने आरोपी को केवल गिरफ्तार किया जाना बताया है तथा उसके

सामने आरोपी को बाजार से थाने के अलावा कहीं नहीं ले जाना बताया है, तब इस साक्षी के सामने आरोपी कप्तानसिंह से जप्ती पंचनामा में उल्लेखित सामान जप्त होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। चूंकि उक्त साक्षी ने बाजार से आरोपी के साथ कहीं नहीं जाना बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के आरोपी कप्तानसिंह से सामान जप्त किये जाने वाले कथन विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षी मोहनसिंह (अ.सा.06) ने यह नहीं बताया है कि आरोपी कप्तान ने मैमोरेण्डम में क्या बताया था।

15. अभिलेख पर स्वतंत्र साक्षी मनोज (अ.सा.02), राजकुमार (अ.सा.04) व प्रवीण (अ.सा.05) ने अभियोजन कार्रवाही का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी मोहनसिंह (अ.सा.06) के कथन विश्वसनीय होना नहीं माना गया है, लेकिन यदि जप्ती व गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी द्वारा जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाही का समर्थन नहीं करने मात्र से पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के अनुपालन में की गई कार्रवाही पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, किन्तु वह तब जबकि, पुलिस अधिकारी की साक्ष्य अपने आप में पूर्ण होकर, संपूर्ण कार्रवाही को प्रमाणित करती हो। इस प्रकरण में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी राजेन्द्रसिंह (अ.सा.03) ने आरोपी कप्तानसिंह व सुनिल द्वारा दिये गये मैमोरेण्डम अनुसार उनके बताये स्थान से आरोपीगण के पेश करने पर सामान जप्त करना बताया है। लेकिन उक्त कार्रवाही के स्वतंत्र साक्षीगण ने उक्त कार्रवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष जप्तीकर्ता द्वारा कार्रवाही की जाना संदेहास्पद हो जाती है।

16. वास्तव में यह मामला अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि गृह भेदन कर फरियादी की दुकान से सामान चुराने का परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है, जिसमें अभियोजन ने अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दी गई सूचना के आधार पर उनकी निशादेही से चोरी का माल बरामद होने के आधार पर अपना मामला आधारित किया है। अभिलेख पर जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ने अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सामान जप्त करना बताया है, किन्तु किसी भी साक्षी ने आरोपीगण से उनके सामने सामान होना नहीं बताया है। ऐसी दशा में जप्तीकर्ता द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाही संदेहास्पद हो जाती

है, जिस पर समर्थन साक्ष्य के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता है।

17. अभिलेख पर इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि फरियादी के आधिपत्य का चोरी गया सामान वही था, जो जप्तीकर्ता द्वारा अभियुक्तगण से जप्त किया गया था। चूंकि जप्तीकर्ता राजेन्द्रसिंह (अ.सा.03) ने बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में डेक चोरी होने का उल्लेख नहीं है तथा उसने किसी भी आरोपी से स्पीकर जप्त नहीं किये थे। जब फरियादी ने डेक चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, तब जप्तीकर्ता ने किस आधार पर डेक जप्त की थी। इसके अतिरिक्त जप्तीकर्ता ने स्पीकर जप्त नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया है। ऐसी दशा में यदि यह मान भी लिया जावे कि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ने आरोपीगण से सामान जप्त किया था, तब भी यह नहीं माना जा सकता है कि जप्तीकर्ता ने जो सामान आरोपीगण से जप्त होना बताया है, वह वहीं सामान था जो फरियादी के आधिपत्य से चोरी गया था। इस प्रकार जप्तीकर्ता द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। यह स्थापित विधि है कि अभियोजन को उसका मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए और कहानी के किसी भी युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। अतः इस मामले में आयी साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं।

18. इस प्रकार अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त कप्तानसिंह के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, उसने सुसंगत दिनांक को फरियादी सोनू उर्फ प्रमोद की गुमठी, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती है, में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया तथा फरियादी के आधिपत्य की गुमठी में से एक टैप रिकार्ड, एक डेग एवं पांच कैसेट कुल कीमत 2100/- रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त कप्तानसिंह के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त कप्तानसिंह को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त

किया जाकर, इस प्रकरण में स्वतंत्र घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे।

21. प्रकरण में जप्तशुदा एक टेप रिकार्ड, दो डेक व पांच कैसेट उसके विधिक स्वामी (फरियादी) को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् अपील न होने की दशा में भारमुक्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(पुंजिया बारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(पुंजिया बारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)